


न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर सर्किट कोर्ट कैम्प रीवा

म०प्र०

R. 5312-छ/16



1. रविशंकर गुप्ता तनय श्री रामखेलावन गुप्ता
2. शिवशरणदास गुप्ता तनय श्री रामखेलावन गुप्ता
3. रामशरण गुप्ता तनय श्री रामखेलावन गुप्ता
4. शुभकरण गुप्ता तनय श्री रामखेलावन गुप्ता
5. आनंद गुप्ता तनय श्री रामखेलावन गुप्ता
6. सतेन्द्र गुप्ता तनय श्री रामखेलावन गुप्ता

सभी निवासीगण वार्ड क्रमांक-13 व 8 सिरमौर, तहसील सिरमौर जिला  
रीवा (म०प्र०)

-----आवेदकगण

बनाम

1. रामाधार तनय बासुदेव गुप्ता निवासी ग्राम सिरमौर वार्ड नं-13 तहसील  
सिरमौर जिला रीवा (म०प्र०)
2. मध्यप्रदेश राज्य द्वारा कलेक्टर रीवा (म०प्र०)

-----अनावेदकगण

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू राजस्व  
संहिता 1959ई० विरुद्ध आदेश दिनांक  
27.07.2005 तहसीलदार तहसील सिरमौर  
जिला रीवा दिनांक 27.07.05 जो प्रकरण  
क्रमांक 23/अ-5/2004-05 (रामाधार विरुद्ध  
म०प्र० राज्य) में पारित।

मान्यवर

पुनरीक्षण अन्य के अतिरिक्त निम्न आधारों पर प्रस्तुत है:-

1. अधीनस्थ न्यायालय की सम्पूर्ण कार्यवाही व आदेश दिनांक 27.07.05  
सर्वथा विधि विधान के प्रतिकूल होने से निरस्त किए जाने योग्य है।
2. अधीनस्थ न्यायालय में अनावेदक क्रमांक-1 ने आवेदन पत्र इस आशय का  
दिनांक 27.07.05 को भूमि नम्बर 1515/4, 1516/7, 1734/3 तथा

At

M


✓

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक निग0 5312- II / 2016

जिला-रीवा

रविशंकर गुप्ता / रामाधार गुप्ता

(1)	(2)	(3)
23.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री शिव प्रसाद द्विवेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, तहसील सिरमौर के प्रकरण क्रमांक 23/अ-5/2004-05 में पारित आदेश दिनांक 27.07.2005 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 10.06.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: center;">         (बी.एम.शर्मा),        सदस्य     </p>	

*[Handwritten signature]*